

1065 लाभुकों को मिशन गृह प्रवेश योजना के तहत दिया प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र



जिला संचालक
रोजनामा इंडो गल्फ

- सभी लाभुकों को 90 दिनों के अंदर आवास पूर्ण करना है: राकेश कुमार, बीड़ीओ
- आरटीजीएस के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि यातीस हजार रुपये लाभुकों के खाते में गई!

जिला संचालक

साहिल अंसरी
रोजनामा इंडो गल्फ

तेजदा / बेगुसराय तेजदा प्रखंड क्षेत्र में मिशन गृह प्रवेश योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति पत्र का वितरण प्रखंड के अटल कलाम भवन में हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने अटल कलाम भवन में मौजूद प्रखंड

क्षेत्र से आप सभी 1065 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र सौंपा। प्रखंड क्षेत्र के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति पत्र का वितरण प्रखंड के अटल कलाम भवन में हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने अटल कलाम भवन में मौजूद प्रखंड

लाभुकों के खाते में भेजा गया। मिशन की कुर्सी तक निर्माण होने के बाद दूसरे किस्त की राशि चालीस हजार रुपये लाभुकों के खाते में दोबारा भेजी जाएगी। वही छठ ढलाई के बाद आवास योजना की तीसरी किस्त चालीस हजार रुपये की राशि लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। आवास योजना के मरणों के तहत श्रमिक के लिए 245 रुपया की दर से प्रतिदिन

90 दिनों की राशि 20250 रुपया 90 दिन के अंदर भवन निर्माण जिनका पूर्ण होगा उनके बाथ से मिलेगा। उन्होंने कहा जिन लाभुकों को शैचालय योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है उन्हें आवास के साथ शैचालय बनाने पर 12 हजार रुपये की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। उन्होंने कहा मिशन गृह प्रवेश योजना के तहत सरकार का उद्देश्य सभी लाभुकों को मिले पक्के तरीके से भेजने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में लाभुकों के चयन के लिए सर्वे किया गया था। सर्वेक्षण कार्य के लिए चंचावत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, चंचावत रोजगार सेवकों को प्रधानमंत्री की राशि लाभ देने के लिए। चंचावत सभी लाभुकों को आज बुधवार को आवास योजना की स्वीकृति पत्र दी गई है। सभी को दिए गए समय सीमा में अपना आवास पूर्ण करना है।

पूर्व एमएलसी रामेश्वर कुमार महतो बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,



मोहम्मद सदरे आलम नौमानी

सीतामढ़ी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव ने पत्र जारी कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर

पूर्व विधान परिषद सीतामढ़ी जिला के लोक प्रिय नेता रामेश्वर कुमार महतो को मनोनीत किया है रामेश्वर और लगन से पार्टी के लिए काम करूंगा।

आभार व्यक्त किया है और, कहा सामान्य कार्यकर्ता को मिला समान मिला है मैं पूरी निष्ठा और लगन से पार्टी के लिए काम करूंगा।

मशरक में परिघावन के दौरान दो महिला सड़क दुर्घटना में घायल, सदर अस्पताल छपरा रेफर



जिला संचालक
रोजनामा इंडो गल्फ

निकली महिला सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हालत में इलाज के लिए सीधे चारों माशरक में भर्ती कराई गई। घायल बंगरा गढ़ गांव में शादी के लिए परिघावन के लिए

निवासी संजीव राम की 30 वर्षीय पत्नी प्रतिमा कुमारी हैं परिजनों ने बताया कि शादी समारोह के लिए बारात का परिघावन हो रहा था कि

अनियंत्रित अजात बाहन की चोपेटे में महिला आ गयी। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया।

लोक अदालत का जिला अभियोजन पदाधिकारी ने की समीक्षा

NIC
SITAMARHI



मोहम्मद सदरे आलम नौमानी सीतामढ़ी : आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लोकर जिला अभियोजन पदाधिकारी ने शिवाय लाभुकों को एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी संवाधित अधिकारियों को निर्विशेष बैठक में लोक अदालत को निपटाएं की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक करन उठाएं। इसके साथ ही, आम जनता से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक वादों के निषादन के लिए निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों को शीघ्र, सुलभ और सुलहपूर्ण न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी संवाधित अधिकारियों को निर्विशेष बैठक में लोक अदालत के माध्यम से वादों का विचार किया कि वे वादों का निपटाएं की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक करन उठाएं।

संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत यहंचकर अपने मालों का निस्तारण कराएं जिससे समय और धन की बचत हो। राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने वादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। लोक अदालत के माध्यम से वादों का विचार किया जाएगा और वादों की भवती होती है। उन्हें बैठक में समय और धन की भवती होती है। और तरलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जहां आपसे सहमति से मालों का निपटाएं किया जाता है। यह अदालत विवादों के निपटार में सहमति आधारित समाधान को बढ़ावा देती है, जिससे न्यायालयों में लंबिक मामलों का बोझ कर्ता होता है। उक्त बैठक में रोहित कुमार अमुडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ संवाधित अभियोजन पदाधिकारी के तौर पर की गई है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष संतोष विशेषज्ञ द्वारा दिया गया है।

मैके पर विशेष वक्ता के रूप में सहमति अदालती को पर्याप्त उपरान्ति करने का केंद्र अंतीम से ही रहा।

अलग अलग मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को किया गया गिरफ्तार

जिला संचालक

रोजनामा इंडो गल्फ

एम नर्सुदीन आजाद

समस्तीपुर : जिले के कलाणपुर प्रखंड क्षेत्र के तहत चकमहेसी थाना की पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर एनबीडब्ल्यू दो वारंटों को आना क्षेत्र के सोमरायगांव वार्ड संख्या 12 से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गये वारंटों की प्रश्ना गोला के निपटार में भाग लिया गया है। दसरा वारंट के संबंध में थानाध्यक्ष को जेल भेजा गया है। वही दसरा देहज अधिनियम की आरोपी सोमनाहा गांव की राज नारायण को पन्ना दिया गया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने दी।

एससी एसटी के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा

जिला संचालक

रोजनामा इंडो गल्फ

एम नर्सुदीन आजाद

समस्तीपुर : जिले के कलाणपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चकमहेसी थाना की पुलिस ने आकाश के बसुवारी गांव से एक एसटी - एसटी कोंडे के प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गये आरोपी की पहचान गांव के ही संजय राय द्वारा दिया गया है। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने दी।



होली को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण)

जिला संचालक
रोजनामा इंडो गल्फ

होली को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

जिला संचालक
रोजनामा इंडो गल्फ

सारांश किया गया है। इसके अन्यांश के विवर निम्नान्वयन हैं।

1. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

2. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

3. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

4. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

5. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

6. अभियुक्तों को लोकर शराब और स्ट्रीट पर रहेंगी विशेष निगरानी : एसपी (ग्रामीण) सं-0-283/23 के 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष संशम कारावास, जुमारा

7. अभियुक

